

28.03.18

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० उप०।

आरोपी नारायण, लल्लू एवं सुनील कुशवाह न्यायिक निरोध से उपजेल गोहद से पेश नहीं, केवल जेल वारंट प्राप्त की ओर से अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर उप०।

प्रकरण आज उर्पापण तर्क हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में पुलिस थाना मौ द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 376-डी, 120बी एवं 506 एवं सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 67, 67-ए, 67-बी तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5-जी, 6, 3, 4 के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार पुलिस थाना मौ द्वारा अन्य धाराओं के अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5-जी एवं 6 के अंतर्गत भी अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त अधिनियम की धारा 33 के अनुसार "कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किये बिना किसी अपराध का ऐसे अपराध गठित करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकेगा"।

इस प्रकार लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधों के संबंध में संज्ञान लेने एवं विचारण करने का अधिकार माननीय विशेष न्यायालय को है। इस न्यायालय को उक्त अपराध के विचारण का एवं संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

फलतः उक्त अभियोग पत्र संबंधित थाने को वापिस किया जाता है एवं अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करे।

प्रकरण में आरोपीगण निरोध में है अतः उपजेल गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 02.04.2018 को आरोपीगण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय गोहद जिला मिण्ड के न्यायालय में प्रातः 11 बजे उपस्थित रखें।

अभियोग पत्र संबंधित थाने को वापिस किया जाकर पावती ली जावे। 02.04.2018 को विशेष न्यायालय में उचित पत्रावली अमिलेखागार भेजी जावे।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जे० प्र० वि० गोहद
न्यायालय
गोहद

सुपरीमा
मा० ०१/०४/१८